

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

भैरु पिता रामकरण मायक निवासी बावड़ी

बनाम

रामकरण पिता मांगु जाट निवासी बावड़ी वगैरह

किस्म मुकदमा पा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 233 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म को लागूक में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र लिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी ने जरिये अभिभावक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकलसंपुक्त खाते की भूमि ग्राम बावड़ी प.ह. बावड़ी आराजी सं. 1378, 1384, 1475 कुल कित्ता 03 रकबा 1.9749 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगड़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगड़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तर्जिद में प्राथी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभावक/प्राथी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी पत्थरगड़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्राथी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगड़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बावड़ी प.ह. बावड़ी आराजी सं. 1378, 1384, 1475 कुल कित्ता 03 रकबा 1.9749 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगड़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्राथी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगड़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगड़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक सीईए/2024/233/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- क्र. 233 / 2024 अनुसार भू-मिती रजिस्ट्रार नायक निवासी बावडी
बनार रजिस्ट्रार मिता नांगू जाट निवासी बावडी, कानु मिता लक्ष्मी नायक निवासी
बावडी, अणुपलाल मिता मारवा नायक निवासी बावडी, महाशेर मिता रजिस्ट्रार नायक
निवासी बावडी, मदन मिता सोकर नायक निवासी बावडी, मन्नु मिता छेतर नायक
निवासी बावडी, भू-मिती रजिस्ट्रार नायक निवासी बावडी, रजिस्ट्रार मिता देवी रजि
निवासी बावडी, तहसीलदार जहाजपुर जहाजपुर की पर्यवेक्षण की मांग करने संबंध ।

उपरोक्त विषयकित्त अन्वय में रजिस्ट्रार के द्वारा बावडी पत्र बावडी
आरजी क्र. 1378, 1384, 1475 कुल मिता 03 एकड़ 19749 हेक्टर भूमि की
पर्यवेक्षण की परमिती के पर्यवेक्षण करने हेतु भू-मिती रजिस्ट्रार बावडी को रजिस्ट्रार
निर्दिष्ट किया जाता है। अन्वय में 200 रुपये तक किए जाते हैं जो प्रथम ग्रेड पर
अदा करना, जहां से 200 रुपये राजकोष में जमा कराये । पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी
पत्र के बावडी को रजिस्ट्रार नहीं किया जाये। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिबन्धित नहीं
जारी नोटिस / कानून अन्वय अन्वय की परमिती के पर्यवेक्षण के आदेश दिए जाते हैं
। मांगाने दिनांक 15 दिनों में देना है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा